न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 01/2007

अपीलार्थीनी		उतरदातागण
1 अनू पुत्री खीयाराम पत्नी जयराम जाति जाट निवासी चोखोणियों की ढाणी (नांद) तहसील व जिला बाडमेर।	बनाम	1 रामाराम पुत्र हीराराम 2 पूराराम पुत्र चेनाराम जाति जाट निवासी चोखोणियों की ढाणी 3 श्रीमती मीरा पुत्री चैनाराम पत्नी भोमाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी जालीपा तहसील व जिला बाडमेर 4 ग्राम पंचायत नांद जरिये सरपंच 5 व्यवस्थापक बालोतरा सहकारी समिति विकास बैंक बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :— 1 श्री नृसिंह सोलंकी, वकील अपीलार्थीनी।

2 श्री हुकमसिंह चौधरी, वकील उतरदाता संख्या 02।

आदेश

दिनांक 15-1-20

संक्षिप्त में अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01, 02 व 03 अपीलान्ट के सगे चचेरे भाई—बहन है, जिनकी वंशवृक्ष निम्नप्रकार है :—

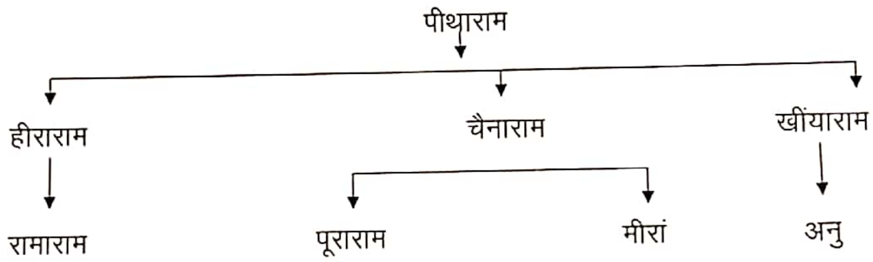

उक्त वंशवृक्ष अनुसार हीराराम, चैनाराम व खींयाराम सगे भाई थे जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा चोखाणियों की ढाणी नांद पटवार क्षैत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 298 रकबा 162.02 बीघा, खसरा संख्या 299 रकबा 06.01 बीघा व खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा भूमि आई हुई है। उक्त भूमि में हीराराम, चैनाराम व खींयाराम प्रत्येक का 1/3—1/3 हिस्सा खातेदारी की भूमि का था। उक्त भूमि में चैनाराम का देहान्त होने से उसका हिस्सा उतरदाता संख्या 02 व 03 के नाम अंकित हुआ। अपीलान्ट की माता का देहान्त अपीलान्ट के पिता खींयाराम के जीवनकाल में ही हो चुका था तथा माता पिता की अपीलान्ट एक मात्र जीवित सन्तान थी। हीराराम के देहान्त होने पर उसके स्थान पर उतरदाता संख्या 01 का नाम खातेदारी में अंकित किया गया। उतरदाता संख्या 03 की शादी जालीपा में हो गई इसलिए वह जालीपा चली गई। हाल ही में उतरदाता संख्या 01 व 02 ने उक्त आराजी को विभाजित कराने की योजना बनाई जिसका अपीलान्ट को ज्ञान होने पर अपीलान्ट ने उतरदाता संख्या 01 व 02 से सम्पर्क किया तो उन्होने अवगत करवाया कि राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाम नही है। अपीलान्ट ने बाडमेर आकर पटवारी हल्का से नकले प्राप्त की गई तो अपीलान्ट का ज्ञात हुआ कि खींयाराम के देहान्त पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 474 खोला गया जिसमें अपीलान्ट का नाम अंकित ही

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

नही किया गया अपितु अपीलान्ट के पिता का हिस्सा उसके भाई हीराराम भतीज पूराराम व भतीजी मीरां में विलीन कर दिया गया। उसके पश्चात चौसाला जमाबन्दी उतरदाता संख्या 01 से 03 के नाम अंकित होती रही। अपीलान्ट ने निवेदन किया कि उतरदाता संख्या 04 ने अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 474 पर पारित आदेश दिनांक 28.01.1980 मौजा नांद को तस्दीक करने में भारी भूल की गई है, जिसे खारिज करने का निवेदन किया।

अपील म्याद के बिन्दु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। उतरदातागण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील उतरदाता संख्या 02 द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। सर्वप्रथम म्याद के बिन्दु पर वकील अपीलार्थीनी का कथन है कि हाल ही में उतरदाता संख्या 01 व 02 द्वारा अपीलाधीन आराजी को विभाजित करने की योजना बनाई, तब अपीलान्ट को ज्ञात हुआ कि उसका नाम अपीलधीन भूमि में नही है तथा सम्बन्धित पटवारी से नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थीनी स्वर्गीय खींयाराम की पुत्री होने से प्रथम श्रेणी की वारिस है, परन्तु जब उसे नामान्तकरण की भूल का ज्ञान हुआ तो उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीनी स्वर्गीय खीयाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से खीयाराम के देहावसान पर जरिये नामान्तकरण अपना हिस्सा अंकित करवाने की अधिकारिनी है। म्याद के बिन्दु पर प्रकरण को खारिज करने का कोई वैधानिक आधार नही है।

वकील उतरदाता संख्या 02 का कथन है कि अपील लगभग 27 वर्ष पश्चात अपील प्रस्तुत की गई है, जो म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकनापरान्त वकील अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत तर्को से हम सहमत है कि अपीलार्थीनी स्वर्गीय खीयाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से खीयाराम के देहावसान पर जरिये नामान्तकरण अपना हिस्सा अंकित करवाने की अधिकारिनी है तथा तथ्यों की जानकारी होने के एक माह के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। लिहाजा अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को के मद्देनजर हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि अपीलकर्ता के पिता खींयाराम के देहान्त होने पर उसकी पैतृक भूमि में उसकी एकमात्र जायन्दा पुत्री अपीलकर्ता अनू के नाम हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामान्तकरण दर्ज किया जाना चाहिए था, परन्तु अपीलाधीन भूमि में खींयाराम के देहान्त पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 474 खोला गया जिसमें अपीलान्ट का नाम अंकित ही नही किया गया अपितु अपीलान्ट के पिता का हिस्सा उसके भाई हीराराम भतीज पूराराम व भतीजी मीरां में विलीन कर दिया गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 474 पर पारित आदेश दिनांक 28.01.1980 में अपीलार्थी का नाम ही अंकित नही किया गया, जो विधिसम्मत नही है। अपील स्वीकार योग्य है।

उप खण्ड अधिकारी

अतः अपील स्वीकार की जाकर मौजा नांद पटवार क्षैत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 298 रकबा 162.02 बीघा, खसरा संख्या 299 रकबा 06.01 बीघा व खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा भूमि में उतरदाता संख्या 04 द्वारा नामान्तकरण संख्या 474 पर पारित आदेश दिनांक 28.01.1980 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि मौजा नादं पटवार क्षैत्र नांद तहसील व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 298 रकबा 162.02 बीघा, खसरा संख्या 299 रकबा 06.01 बीघा व खसरा संख्या 300 रकबा 0.12 बीघा भूमि में अपीलकर्ता का नाम सम्मिलित करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण पारित करें।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 15-1.20 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO)
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2020.02.24 15:49:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: